

पत्रांक [] / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **SH-2** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

eJ / ZiHk / dk / fefr
Jkjk Jherh idik prpñh / fpo@eJstj%
cjh/ Vxig/ rgl hy&[kyhykcln]
fityk& / r dchj uxjA

आवंटन पत्र सं0 **26** दिनांक **08/12/2014** के माध्यम से गीडा की संस्थागत योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **SH-2** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	17844982.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	22285814.00
			योग रू0	40130796.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	609622.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1120380.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
					योग रू0	1730002.00

egk: kx : 0 41860798.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।